20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(141)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील-0501/2019/शिवपुरी/ यू.आर.

प्रकरण क्र. /अपील/2019/शिवपुरी

श्री कुंवर सिंह कु. शाक्य द्वारा आज दि. 11-4-19 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-5-19 नियत। 11-4-19 रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

सुरेश पुत्र मंजू, राजदुलारी पत्नि सुरेश आदिवासी, निवासी ग्राम बिलूखो, कृषक ग्राम करई अहमदपुर, शिवपुरी..........आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन. ....अनावेदक

<u>अपील आवेदक पत्र धारा 44 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 479/अपील/17–18 शिवपुरी आदेश दिनांक 08/04/19 को पारित</u>

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :–

यहकि, आवेदक ने अपनी आराजी को विक्रय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आवेदन किया। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने वैधानिक रीति से जॉच उपरान्त आर.आई., पटवारी, तहसीलदार, एम.डी.ओ. से विक्रय के सम्बन्ध में जानकारी चाही जानकारी अपीलार्थी के पक्ष में आई के उपरान्त न्यायालय ने आवेदन निरस्त कर दिया के खिलाफ आयुक्त के यहा अपील पेष की जो खरीज हुई के खिलाफ श्रीमान जी के समक्ष द्वतीय अपील समय सीमा में प्रस्तुत होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>अपील के आधार</u>

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि अधीनस्थ न्यायालयो ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि अपीलार्थी ने सर्वे नं. 5/5 रकबा 0.64 है. (ग्राम करई) को विक्रय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों से विक्रय की परमीशन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन चाहा। प्रतिवेदन अपीलार्थी के पक्ष में आया उसके उपरान्त भी अपीलार्थी का आवेदन निरस्त कर दिया इस तथ्य को आयुक्त

कुंवर सिंह कु. शाक्य 11-4-19 (हस्ताक्षर)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक– अपील–0501/2019/शिवपुरी/भू.रा.

सुरेश विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–05–2019	अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह एवं शासकीय अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 479/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 08–04–2019 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रश्नाधीन आदेश एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेज की छायाप्रति का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम करई की भूमि सर्वे नं. 5/5; रकबा 0.64 हैक्टेयर के विक्रय की अनुमति प्रदाय किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा अपर कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 05–02–2014 को अपीलार्थी का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया कि अपीलार्थी के पास प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त जीवन–यापन के लिये कोई भूमि नहीं है, जिसे यदि विक्रय की अनुमति दी जाती है तो अपीलार्थी को भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध लगभग 04 वर्ष 04 माह के विलंब से आयुक्त न्यायालय में अपील पेश की गई। आयुक्त ने म्याद अधिनियम की धारा 05 के आवेदन के अभाव में	

अपील निरस्त की है।

4/ अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 07–06–2018 का म्याद अधिनियम की धारा 05 का आवेदन एवं शपथ–पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर तर्क में कहा कि अपर आयुक्त द्वारा धारा 05 के आवेदन पर विचार नहीं किया है। यह प्रकरण ग्राह्यता के स्तर पर है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख संलग्न नहीं । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के इस तथ्य पर विवेचना नहीं की जा सकती है। अतः प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्र. क्र. 479/अपील/2017–18/शिवपुरी में धारा 05 प्रस्तुत किये जाने संबंधी तथ्य का परीक्षण करें। यदि अपीलार्थी द्वारा म्याद अधिनियम धारा 05 का आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो म्याद के बिन्दु पर बोलता हुआ आदेश पारित करें।

5/ आवेदक दिनांक 23–07–2019 को आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित हो।

पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(आर.के. जैन) 28/5/19
सदस्य